न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,फतेहाबाद, आगरा

उपस्थित : तरूण कुमार अग्रवाल –उ0प्र0 न्यायिक सेवा

दण्डवाद संख्या :401/2006

C.N.R. no.-

I.D. no- U.P. 2497

राज्य **प्रति**

1. भीकम सिंह पुत्र थान सिंह
2. धनवान सिंह पुत्र थान सिंह
3. अशोक पुत्र थान सिंह

निवासी ग्राम नगला शादी थाना शमशाबाद, जिला आगरा।

मु0 अ0 संख्या–565/2005

धारा : 323,324,504,506भा0दं0सं0

थाना :शमशाबाद, आगरा।

निर्णय

1. पुलिस थाना शमशाबाद आगरा द्वारा अभियुक्तगण भीकम सिंह, धनवान सिंह, तथा अशोक के विरूद्व धाराः 323,324,504,,506भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत करते हुए विचारण किया गया है।

2. मु0अ0स0 565/05 के अनुसार अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी गुलाब सिंह निवासी नगला शादी थाना शमशाबाद आगरा का मूल निवासी है। दिनांक 20.12.2005 को समय करीब 1.00 बजे प्रार्थी के 150 रूपये अभियुक्तगण पर उधार थे, जिसको मांगने के लिये प्रार्थी की पत्नी अभियुक्तगण के घर गयी थी, तो अभियुक्त ने उससे मारपीठ की तथा उसको गाली दी उसके प्रार्थी की पत्नी के शोर मचाने पर प्रार्थी व प्रार्थी का भतीजा पहुचा तो अभियुक्तगण ने हमको भी लात घूँसों से मारा पीटा व भददी–2 गालियॉ दी। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करें।

3. उक्त रिपोर्ट पर थाना शमशाबाद आगरा पर अभियोग मु0अ0स0 565/05 धारा : 323,324,504,,506भा0दं0सं0 पंजीकृत की गयी तथा मामले की विवेचना उप निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के अनुक्रम में वादी मुकदमा व गवाहन के बयान अंकित किये गये, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा विवेचना की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तग अमर सिंह के विरूव्द्व धारा : 323,324,504,,506भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया

4. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आये। अभियुक्त के विरूद्ध धारा : 323,324,504,,506 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 गुलाब सिंह पुत्र

रामजी लाल वादी मुकदमा पी0डब्लू0–2 विमलेश पत्नी गुलाब सिंह वादी मुकदमा तथा पी0डब्ल–3 हरेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया। वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं अभियोजन की संस्तुति पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

6. अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन आरोप पत्र की प्रमाणिकता औपचारिक रूप से स्वीकार की गयी, तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

7. अभियुक्तगण के कथन अर्न्तगत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने से इंकार किया ।

8. मैंने विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया ।

9. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा गुलाब सिंह ने अपने सशपथ बयान मुख्य परीक्षा में घटना को साबित करते हुये कथन किया है कि दिनांक 20.12.2005 को समय करीब 1.00 बजे के करीब प्रार्थी की पत्नी अभियुक्तगण के घर पर 150 रूपये उधारे के मांगने गई थी तो अभियुक्तगण ने गाली गलौज की इसका विरोध करने पर उन्होंने प्रार्थी की पत्नी को मारपीठ की तथा प्रार्थी व प्रार्थी के भतीजे को भी मारपीट कर जाने से मारने की धमकी दी। प्रार्थी थाने गया तथा, रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट एन0 सी0 आर0 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

10. इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी, तो इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि दिनांक 20.12.2005 को समय करीब 1.00 बजे उसके गॉव के भीकम सिंह, धनवान सिंह तथा अशोक ने प्रार्थी व प्राथी की पत्नी को तथा प्रार्थी के भतीजे के साथ कोई मारपीठ व, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी कारित नहीं की थी। गॉव वालों के कहने पर उसने मुल्जिमानों के खिलाफ, रिपोर्ट लिखा दी थी। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था।

11. इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसका मुल्जिमान भीकम सिंह, धनवान सिंह तथा अशोक से समझौता हो गया है। दिनांक 20.12.2005 को समय करीब 1.00 बजे को इन मुल्जिमानों ने प्रार्थी व प्राथी की पत्नी को तथा प्रार्थी के भतीजे के साथ गाली गलौज नहीं की, यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में झठी गवाही दे रहा हूँ।

12. अभियेाजन द्वारा अपना केस साबित करने के लिये गवाह पी0डब्लू–2

विमलेश पत्नी गुलाब सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने आपने ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी मेरे सामने कोई झगडा नहीं हुआ। ।

13. अभियोजन द्वारा अपना केस साबित करने के लिये गवाह पी0डब्लू–3 हरेन्द्र सिंह को परिक्षित काराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने को किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी मेरे सामने कोई झगणा नहीं हुआ ।

14 इस साक्षी से अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी तो इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है। इस साक्षी को इसके बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 को पढकर सुनाया गया व समझाया गया तो इस साक्षी ने अपने ही बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 से इंकार किया है। तथा कथन किया है कि उसने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नही दिया था कैसे लिख लिया वह उसकी बजह नहीं बता सकती।

15. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा गुलाब सिंह, पी0डब्लू–2 श्रीमती विमलेश, पी0डब्लू0–3, हरेन्द्र के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षीगण के बयान से अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को मारपीट, गाली गलौज व जान से मार दिये जोन की धमकी दिये जाने का अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

16. यद्यपि अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है, परन्तु अभियोजन साक्षीगण के बयान से अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है अतएव् केवल मात्र अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार किये जाने के आधार पर ही अभियुक्तगण दोषसिद्व किये जाने योग्य नहीं हैं।

17. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता हैं कि अभियोजन अभियुक्तगण भीकम सिंह, धनवान सिंह तथा अशोक विरूद्व धारा : 323,324,504,,506भा0दं0सं0 के आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण असफल रहा है अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण भीकम सिंह, धनवान सिंह तथा अशोक को अन्तर्गत धारा : 323,324,504,,506भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को जमानत दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 437ए के अन्तर्गत अभियुक्तगण उपरोक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण प्रत्येक मु0 20,000/—रूपये का नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो—दो प्रतिभू छः माह की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत करेंगे कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध अपील योजित की जाती है तो वे अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस के अनुपालन में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

s.d./-

दिनांक 08.01.2020

(तरूण कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,न्या0—02
फतेहाबाद, आगरा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया

s.d./-

दिनांक 08.01.2020

(तरूण कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,न्या0—02
फतेहाबाद, आगरा।